न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

(1) प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/4933/2005/भरतपुर

1. श्रीमती सोमोती बेवा लक्ष्मण
2. तुहीराम पुत्र लक्ष्मण
3. पप्पू
4. समय सिंह
5. बबलू

–पिसरान लक्ष्मण

6. श्रीमती प्रेम पुत्री लक्ष्मण पत्नि शिवराम जाति जाटव निवासीगण नगला वन्ध तहसील वैर जिला भरतपुर
7. धर्मसिंह पुत्र श्रीया उफ गिलहरी
8. श्रीमती गंगादेई बेवा सिरिया उर्फ गिलहरी जाति जाटव निवासी सेथली तहसील वैर जिला भरतपुर

.....अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण

बनाम

1. घीसोली
2. सुआ
3. मदन

–पुत्रगण लटटे जाति जाटव निवासी सेथली तहसील वैर जिला भरतपुर

4. घसीडा पुत्र भोजी जाति जाटव निवासी सेथली तहसील वैर जिला भरतपुर
5. ओमप्रकाश पुत्र टेका जाति जाट निवासी सेथली तहसील वैर हाल आबाद झिरना तहसील हिण्डौन जिला करौली

....प्रत्यर्थीगण/वादीगण

(2) प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/4941/2005/भरतपुर

1. श्रीमती सोमोती बेवा लक्ष्मण
2. तुहीराम पुत्र लक्ष्मण
3. पप्पू
4. समय सिंह
5. बबलू

–पिसरान लक्ष्मण

6. श्रीमती प्रेम पुत्री लक्ष्मण पत्नि शिवराम जाति जाटव निवासीगण नगला वन्ध तहसील वैर जिला भरतपुर

7. धर्मसिंह पुत्र श्रीया उफ गिलहरी

.....अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण

बनाम

1. घीसोली
2. सुआ
3. मदन

–पुत्रगण लट्टे जाति जाटव निवासी सेथली तहसील वैर जिला भरतपुर

4. घसीडा पुत्र भोजी जाति जाटव निवासी सेथली तहसील वैर जिला भरतपुर
5. ओमप्रकाश पुत्र टेका जाति जाट निवासी सेथली तहसील वैर हाल आबाद झिरना तहसील हिण्डौन जिला करौली

....प्रत्यर्थीगण/वादीगण

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री पंकज नरूका, सदस्य

उपस्थितः–
श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री जे0के0पारीक, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 29–07–2019

यह दोनों द्वितीय अपीलें अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील सं. 15/2003 व अपील संख्या 16/2004 में पारित एक ही निर्णय व डिक्री दिनांक 25–08–2005 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. इन दोनों प्रकरणों में समान पक्षकार व एक ही विवाद बिन्दु होने तथा एक ही आक्षेपित निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत किए जाने के कारण इनका निस्तारण इस एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जाए।

3. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर के समक्ष घीसोली वगैरहा ने एक वाद संख्या 91/1990 अन्तर्गत अधिनियम की धारा 88, 89 व 188 के तहत लक्ष्मण वगैरहा के विरूद्ध ग्राम सेथली तहसील वैर स्थित विवादित आराजियात आराजी खसरा संख्या 32 रकबा 1 बबीघा 4 बिस्वा, 25 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 33 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा तथा खसरा संख्या 45 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा भूमि के संबंध में पेश किया। उक्त वाद का प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 ने अपना जवाब पेश कर वाद के कथनों को अस्वीकार किया। इसी प्रकार विचारण न्यायालय के समक्ष अन्य वादी घसीडा ने एक अन्य दावा पेश किया, जो कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण संख्या 222/1990 संस्थित किया गया। वादीगण ने उक्त वाद अधिनियम की धारा 88, 89 व 188 के अन्तर्गत प्रतिवादीगण के विरूद्ध ग्राम सेथली तहसील वैर स्थित विवादित आराजी खसरा संख्या 32 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 25 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 33 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा तथा खसरा संख्या 45 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा भूमि के संबंध में पेश किया। उक्त वाद पत्र का प्रतिवादीगण ने अपना जवाबदावा पेश कर वाद के कथनों को अस्वीकार किया। कालान्तर में विचारण न्यायालय ने वादीगण के उक्त दोनों दावों को समेकित कर एक साथ विचारण प्रारम्भ किया। न्यायालय ने दोनों दावे तथा जवाबदावे के आधार पर वाद में अनुतोष 6 विवाद्यक कायम किए तथा प्रत्येक विवाद्यक को विरचित करते हुए एक ही आज्ञा दिनांक 03–02–2003 पारित करते हुए दोनों वादों को डिक्री कर दिया। प्रकरण संख्या 91/1990 में डिक्री इस आशय के साथ पारित की गई कि प्रश्नगत आराजी खसरा संख्या 52 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 25 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 33 रकबा 1 बीघा

7 बिस्वा, खसरा संख्या 45 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा पर 1/2 हिस्से में बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी घोषित किया गया। इसी प्रकार प्रकरण संख्या 222/1990 इस प्रकार डिक्री किया गया कि उक्त वर्णित आराजी में वादी घसीडा को 5/12 हिस्से का काश्तकार खातेदार व काबिज आराजी घोषित किया गया। इसके साथ ही ओमप्रकाश के नाम हो रहे 1/12 हिस्से का इन्द्राज यथावत रहेगा। शेष इन्द्राज कलमजन किया गया। प्रतिवादीगण लक्ष्मण वगैरहा को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया कि वे उक्त आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें।

4. विचारण न्यायालय द्वारा उक्त दोनों दावों में पारित एक ही निर्णय व डिक्री दिनांक 03-02-2003 के विरूद्ध अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष दो पृथक-पृथक अपीलें पेश की गई। जिसमें प्रथम अपील संख्या 15/2003 हीरालाल वगैरहा ने घीसोली के विरूद्ध पेश की गई तथा द्वितीय अपील संख्या 16/2003 हीरालाल वगैरहा ने घसीडा के विरूद्ध पेश की। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्त दोनों अपीलें को समेकित करते हुए अपने एक ही निर्णय व डिक्री दिनांक 25-08-2005 द्वारा खारिज करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखा। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त एक ही आक्षेपित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर श्रीमती सोमोती ने दो पृथक-पृथक अपीलें मण्डल के समक्ष पेश की गई, जो कि क्रमशः 4933/2005 तथा 4941/2005 संस्थित की गई।

5. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को त्रुटिपूर्ण होना बताया। उनका कहना है कि दोनों पक्ष एक ही परिवार के है तथा लक्ष्मण नहनिया का दत्तक है। जबकि वादी ने वाद में सोमोती वगैरहा को नम्बर पर ले

लिया गया। वादी ने मूल वाद में हीरालाल व श्रीया के पुत्र धर्मसिंह नाबालिग को पक्षकार संस्थित किया। इसके अतिरिक्त श्रीया की पत्नि गंगादेई, आचंदा, मुक्ता को पक्षकार नहीं बनाया गया, जबकि आराजी की जमाबंदी में उनके नाम के अंकन है। विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 जमाबंदी सम्वत 2012–2015 को आधार मानकर अपना निर्णय पारित किया है। जबकि वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में खसरा संख्या 32 बाबत किसी प्रकार कोई जमाबंदी पेश नहीं की है। जबकि उक्त खसरा नम्बरान विवादित आराजी का ही भाग है। उक्त जमाबंदी में 1/6–1/6, 1/3–1/3 हिस्सा दर्ज है। जबकि विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों का हक माना है। जबकि जमाबंदी सम्वत 2048–2051 को आधार माना है, वह सही है। उनका आगे कहना है कि विवादित आराजी में 1/2–1/2 हिस्सा मानने का विचारण न्यायालय का निष्कर्ष गलत है। मामले में सम्पादित राजीनामे में गंगादेई के नाम का अंकन नहीं है, जबकि धर्मसिंह द्वारा उक्त आलोच्य राजीनामा सम्पादित किया गया है। उक्त राजीनामें में धर्मसिंह की ताईद किस पक्ष ने की, इस बाबत कोई उल्लेख नहीं है। राजीनामें में अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर का कोई औचित्य नहीं है। उनका कहना है कि राजीनामे के समय धर्मसिंह नाबालिग होने के कारण वह नियमानुसार राजीनामे की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता। उनका तर्क है कि विधायिका की भावना के अनुसार नाबालिग बाबत किए गए राजीनामे के लिए न्यायालय से पूर्वानुमति प्राप्त करना प्रावधित है। उनका यह भी तर्क है कि मामले निष्पादित राजीनामा आदेश 32 नियम 7 सीपीसी के विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण उसका कानून में कोई महत्व नहीं है। उनका आगे तर्क है कि आलोच्य राजीनामा फर्जी तौर पर तैयार किया गया है, जो कि वैध दस्तावेज नहीं है। उनका आगे यह भी तर्क है कि मामले में विचारण न्यायालय ने आराजी खसरा संख्या 32 के संबंध में वादी द्वारा किसी प्रकार का अभिलेख पेश नहीं किए जाने के बावजूद उनके वाद को डिक्री करने में भूल की है। उनका आगे कहना है कि आदेश 1 नियम 9 सीपीसी के विधिक प्रावधानानुसार आराजी से संबंधित प्रत्येक पक्षकार को वाद में पक्षकार संयोजित आवश्यक है, अतः वादी के वाद में सम्पूर्ण पक्षकार संयोजित नहीं होने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय

दोषपूर्ण है। उक्त दोषपूर्ण निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा पेश दोनों अपीलों को अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय से खारिज कर अनियमितता की है। सारांशतः प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत दोनों अपीलों को स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25–08–2005 एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03–02–2003 को अपास्त करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत दोनों मूल वाद को भी निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

7. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील का घोर विरोध करते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को न्यायसंगत, तर्कसंगत तथा विधिसम्मत होना बताया है। उनका कहना है उनके द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक राजीनामा पेश किया गया है। उक्त राजीनामे के अनुसार विवादित आराजी कुल किता 4 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा ग्राम सेथली में वादी निष्फ यानि 6/12 हिससे में तथा प्रतिवादी घसीडा 5/12 हिस्से में काबिज रहकर शांतिपूर्ण ढंग से काश्त करना जाहिर किया है। उक्त राजीनामे में किए गए अंकन के अनुसार अन्य कोई प्रतिवादी का आराजी से कोई संबंध नहीं है। इसके अतिरिक्त राजीनामें के अनुसार आराजी पैृतक सम्पत्ति होना घोषित किया गया। उक्त राजीनामा न्यायालय के समक्ष दिनांक 22–10–1990 को पेश किए जाने पर न्यायालय द्वारा तस्दीक भी कर दिया गया। उनका तर्क है कि उक्त राजीनामे में प्रतिवादीगण द्वारा किए गए कृत्य से वह बाध्यकारी है तथा वह सम्पादित राजीनामे को अन्यथा सिद्ध नहीं कर सकते है। उनका यह भी कहना है कि आलोच्य राजीनामे को पक्षकार को सुनकर तथा उनके अधिवक्ता के हस्ताक्षर किए जाने के बाद तथा राजीनामे को लिखने वाले से तस्दीक कराई गई। इसके बाद न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने पर न्यायालय ने आलोच्य राजीनामे को तस्दीक किया है। सारांशतः प्रकरण में सम्पादित आलोच्य राजीनामा एक वैध दस्तावेज है, जिसको असत्य ठहराने का कोई कारण उपलब्ध नहीं है। उक्त समस्त तथ्यात्मक एवं विधिक परिवेश में मामले में दोनों

अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री उपलब्ध रेकार्ड के परिप्रेक्ष्य में उचित होने के कारण उसमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। सारांशतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन प्रकट होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीलों को खारिज कर आक्षेपित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र रेकार्ड का गहन परीक्षण किया तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बारीकी से मूल्यांकन किया।

9. पत्रावली का विधिक दृष्टि से सम्पूर्ण विश्लेषण करने के बाद निम्नांकित बिन्दु दृष्टिगोचर होते हैः-

1. क्या विवादित आराजियात के संबंध में दिनांक 22-10-1990 को निष्पादित राजीनामे से प्रतिवादीगण बाध्यकारी है अथवा नहीं ?

2. उक्त राजीनामे के विरूद्ध प्रतिवादी लक्ष्मण वगैरहा द्वारा पूर्व में मण्डल के समक्ष निगरानी संख्या 201/1991 पेश की गई, जिसे मण्डल की पूर्व माननीय एकल पीठ ने अपने निर्णय दिनांक 04-11-1996 द्वारा खारिज करते हुए राजीनामे की कार्यवाही विधिसम्मत ठहराया है।

उक्त दोनों बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा उपलब्ध रेकार्ड का विधिक दृष्टि से परीक्षण किया है। जिससे स्पष्ट होता है कि वादी घसौली व घसीडा ने विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर एक राजीनामा पेश किया। राजीनामें से स्पष्ट है कि पक्षकारान के अधिवक्ता कार्यवाही के दौरान उपस्थित थे, जिनके द्वारा कथित किया गया कि पक्षकारान को राजीनामा पढ-सुनकर सही स्वीकार किया है। जिसके अनुसार वादीगण की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई तथा प्रतिवादीगण की पहचान भी उनके द्वारा अधिवक्ता द्वारा की गई। यही नहीं उक्त सम्पादित राजीनामे पर पक्षकारों के अतिरिक्त उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ताओं के

भी हस्ताक्षर अंकित है। रेकार्ड से यह भी पाया जाता है कि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त राजीनामे की कार्यवाही को निरस्त करने प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसमें उनके द्वारा यह कथित नहीं किया गया कि वह राजीनामे की कार्यवाही के दौरान उपस्थित नहीं थे या उनके द्वारा राजीनामे पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। प्रतिवादीगण ने आलोच्य प्रार्थना पत्र में यह लिखा कि उनके कानूनी पैरोकार उपस्थित नहीं थे तथा प्रतिवादीगण अनपढ होने के कारण राजीनामे का आधार तथा भाषा समझ नहीं सके। सारांशतः प्रतिवादीगण स्वयं यह स्वीकार करते है कि वह न्यायालय के समक्ष दिनांक 22-10-1990 को उपस्थित थे तथा उन्होंने राजीनामे पर हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार बहस के दौरान हमारे समक्ष अपीलार्थी की आपत्ति कि मामले में सम्पादित राजीनामे की कार्यवाही फर्जी है, निराधार पायी जाती है। हमारी विनम्र राय में जब प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामे की कार्यवाही को अन्यथा सिद्ध करने हेतु किसी प्रकार की अभिलेखीय साक्ष्य पेश नहीं की है तथा विचारण न्यायालय ने वादी के मूल वाद में वसीयत को अवधारित करते हुए अपना निर्णय पारित किया है, जिसको अन्यथा सिद्ध करने बाबत प्रतिवादीगण द्वारा कोई नवीन तथ्य हमारे समक्ष पेश नहीं किए है। अतः मूल वाद विचारण न्यायालय द्वारा निष्कर्ष विधि सम्मत पाया जाता है।

10. द्वितीय उक्त सम्पादित राजीनामे के विरूद्ध मण्डल के समक्ष पूर्व में लक्ष्मण प्रतिवादी द्वारा पेश निगरानी को मण्डल की पूर्व माननीय एकल पीठ ने अपने निर्णय द्वारा दिनांक 04-11-1996 से अपास्त किए जाने के फलस्वरूप उक्त राजीनामे को विधि के प्रावधानों के विपरीत होने या उक्त राजीनामे के आधार पर विचारण न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। इसके अतिरिक्त राजीनामे में किए गए कृत्य से प्रतिवादीगण बाध्यकारी है तथा स्वयं की स्वीकारोक्ति से इंकार नहीं कर सकते।

11. विचारण न्यायालय ने वादी के दोनों वाद को समेचित करते हुए वाद व जवाबदावे के आधार पर 6 विवाद्यक कायम कर प्रत्येक विवाद्यक को उपलब्ध रेकार्ड तथा गवाहान के बयानात के परिप्रेक्ष्य में विधि की

भावना के अनुसार जो निर्णय पारित किया है, उससे यह न्यायालय पूर्णतया सहमत है। अतः प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय व डिक्री दिनांक 03–02–2003 विधि सम्मत पाया जाता है। उक्त विधि सम्मत निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थीगण की अपील को सारहीन पाते हुए अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय से अस्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की है। सारांशतः मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के विधि सम्मत समवर्ती निष्कर्षो में हम द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है। प्रकट यह होता है कि प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण ने असंगत आधारों को अभिवचित करते हुए हस्तगत द्वितीय अपील पेश की है, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। सारांशतः प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन व बलहीन होना प्रकट होती है।

12. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह दोनों अपीलें सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25–08–2005 एवं उपखण्ड अधिकारी वैर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03–02–2003 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज नरूका)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य